न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर०ए०एस०

राजस्व अपील सं. 05 / 2025

अपीलांट–

भागीरथ राम पुत्र निम्बाराम जाति विश्नोई निवासी खडियाली नाडी तहसील नोखडा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स–

1. तहसीलदार नोखड़ा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.11.2024 जो तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र कुमार रामावत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 02.04.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नोखड़ा द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2024 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा पटवार मण्डल बाण्ड के गांव खडियाली नाडी में अपीलांट के खेत खसरा संख्या 854 रकबा 7.0253 हैक्टेयर आया हुआ है। अपीलांट की संयुक्त खातेदारी भूमि पटवार मण्डल बाण्ड मौजा खडियालीनाडी के खसरा संख्या 854 रकबा 7.0253 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में से रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण हेतु समर्पण पत्र स्वीकार कर समर्पण आदेश 2578 दिनांक 12.11.2024 तहसीलदार नोखडा द्वारा पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 20.02.2025 को यह अपील न्यायालय समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है।

3. अपीलांट की अपील [illegible] निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया जाकर अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित रेकर्ड तलब कर अवलोकन किया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

4. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट के उत्तर दिशा में एक कटान रास्ता खसरा संख्या 804 / 7 निकला हुआ है। जिस पर मुरडा डाल रखा है, जो परिशिष्ट 'अ' में लाल रंग से दर्शाया गया है। परिशिष्ट 'अ' में जो लाल रंग से दर्शाया गया है, उसकी तरमीम कटान रास्ता के खसरा नंबर 804 / 7 से करने के वक्त नहीं हो पाई थी, इस कारण अपीलांट ने पटवारी से बात की तो पटवारी ने कहा कि आप उक्त रास्ता राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करवा दो तब आपका उक्त रास्ता तरमीम हो जाएगा। जिस पर अपीलांट ने पटवारी हल्का से कागजात तैयार करवाए, तब पटवारी हल्का ने परिशिष्ट 'अ' में लाल रंग के स्थान पर अन्य स्थान पर नक्शा समर्पण की भूमि बताकर कागजात रेस्पोडेंट के यहां प्रस्तुत किए, जिस पर गलत रूप से परिशिष्ट 'अ' में लाल रंग के स्थान पर अन्य स्थान पर समर्पण आदेश पारित हो गया। अपीलांट के खेत में उसकी ढाणी थी, जो परिशिष्ट 'अ' में लाल रंग के पास आई हुई है। इस कारण वर्तमान में जहां पर भूमि समर्पण की गई है, उसका कोई भी औचित्य नहीं था, यह केवल भूलवश किया गया है। लिहाजा तहसीलदार नोखड़ा द्वारा समर्पण आदेश पटवारी हल्का के भूल के कारण पारित किया गया है जो खारिज योग्य है।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी प्रकट किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 24.01.2025 को हुई, जिस पर अपीलांट ने श्री तहसीलदार नोखडा को रिव्यू आवेदन प्रस्तुत किया व उनके द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी से मंगाई गई, उसके पश्चात श्री तहसीलदार नोखड़ा रिव्यू करने से मना कर दिया। इस प्रकार जानकारी होने से अन्दर मयाद उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र शामिल कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित। रेस्पोडेंट द्वारा विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट क्रमांक राजस्व / 2025 / 254 दिनांक 21.03. 2025 में यह बताया गया कि ग्राम खड़ियाली नाडी के खसरा संख्या 854 रकबा 7.025.3 हैक्टेयर के खातेदार भागीरथराम वल्द निम्बाराम द्वारा दिनांक 18.09.2024 को तहसीलदार नोखडा के समक्ष [illegible] भूमि समर्पण करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था [illegible] पत्र में दर्शाये गए प्रस्तावित नक्शा अनुसार ही इस कार्यालय के [illegible] राजस्व / 2024 / 2578 दिनांक 12.11.2024 द्वारा समर्पण आदेश पारित किया गया जिसका नामान्तरण संख्या 292 दिनांक 02.01.2025 के द्वारा अमलदरामद भी हो चुका है। चूंकि

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते [illegible] (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

खातेदार उक्त समर्पण खसरा संख्या 845 की सीमा पर समर्पण करवाना चाहता था, लेकिन समर्पण हेतु भूमि प्रस्तावित करते समय दिशा भ्रम होने से खातेदार द्वारा समर्पण हेतु प्रस्तुत नक्शे में गलत जगह प्रस्तावित कर दिया। मौके पर खसरा संख्या 845 की सीमा पर खातेदार श्री भागीरथराम के खसरे में मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है जो कि खड़ियाली नाडी डामर सम्पर्क सड़क से मकवाणी कडवासरों की ढाणी स्कूल तक जाती है तथा लगभग 100 घरों के आवागमन का एकमात्र रास्ता है। प्रार्थी का घर खसरा संख्या 804/6 की सीमा पर बना हुआ है, इसलिए प्रार्थी स्वयं के घर तक पहुंचने के लिए भी यही रास्ता है। अतः पटवारी हल्का बाण्ड की मौका रिपोर्ट अनुसार खातेदार व उपस्थित मौतबरान के बताए अनुसार मौके पर चालु रास्ता व कब्जा काश्त अनुसार संलग्न नक्शा में खसरा संख्या 950/854 रकबा 0.0647 हैक्टेयर बरंग द्वारा दर्शित किया गया है, जो कि मौका रिपोर्ट का अभिन्न अंग रहेगा।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि मौजा पटवार मण्डल बाण्ड के गांव खडियाली नाडी में अपीलांट के खेत खसरा संख्या 854 रकबा 7.0253 हैक्टेयर आया हुआ है। अपीलांट की संयुक्त खातेदारी भूमि पटवार मण्डल बाण्ड मौजा खडियालीनाडी के खसरा संख्या 854 रकबा 7.0253 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में से रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण हेतु समर्पण पत्र स्वीकार कर समर्पण आदेश 2578 दिनांक 12.11.2024 तहसीलदार नोखडा द्वारा पारित किया गया। अपीलांट के उत्तर दिशा में एक कटान रास्ता खसरा संख्या 804/7 निकला हुआ है। जिस पर मुरडा डाल रखा है, जो परिशिष्ट 'अ' में लाल रंग से दर्शाया गया है। परिशिष्ट 'अ' में जो लाल रंग से दर्शाया गया है, उसकी तरमीम कटान रास्ता के खसरा नंबर 804/7 से करने के वक्त नहीं हो पाई थी, इस कारण अपीलांट ने पटवारी से बात की तो पटवारी ने कहा कि आप उक्त रास्ता राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करवा दो तब आपका उक्त रास्ता तरमीम हो जाएगा। जिस पर अपीलांट ने पटवारी हल्का से कागजात तैयार करवाए, तब पटवारी हल्का ने परिशिष्ट 'अ' में लाल रंग के स्थान पर अन्य स्थान पर नक्शा समर्पण की भूमि बताकर कागजात रेस्पोडेंट के यहां प्रस्तुत किए, जिस पर गलत रूप से परिशिष्ट 'अ' में लाल रंग के स्थान पर अन्य स्थान पर समर्पण आदेश पारित हो गया। आवेदित खेत में उसकी ढाणी थी, जो परिशिष्ट 'अ' में लाल रंग के पास आई हुई है। इस कारण वर्तमान में जहां पर भूमि समर्पण की गई है उसका कोई भी औचित्य नहीं था, यह केवल भूलवश किया गया है। लिहाजा तहसीलदार नोखड़ा द्वारा समर्पण

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

आदेश पटवारी हल्का के भूल के कारण पारित किया गया है जो खारिज योग्य है। रेस्पोडेंट तहसीलदार नोखड़ा ने अपनी मौका रिपोर्ट में यह ताईद करते हुए यह वस्तुस्थिति बताई है कि क्रमांक राजस्व/2025/254 दिनांक 21.03.2025 में यह बताया गया कि ग्राम खड़ियाली नाडी के खसरा संख्या 854 रकबा 7.025.3 हैक्टेयर के खातेदार भागीरथराम वल्द निम्बाराम द्वारा दिनांक 18.09.2024 को तहसीलदार नोखडा के समक्ष रास्ते हेतु भूमि समर्पण करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था और प्रार्थना पत्र में दर्शाये गए प्रस्तावित नक्शा अनुसार ही इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2024/2578 दिनांक 12.11.2024 द्वारा समर्पण आदेश किया गया जिसका नामान्तरण संख्या 292 दिनांक 02.01.2025 के द्वारा अमलदरामद भी हो चुका है। चूंकि खातेदार उक्त समर्पण खसरा संख्या 845 की सीमा पर समर्पण करवाना चाहता था, लेकिन समर्पण हेतु भूमि प्रस्तावित करते समय दिशा भ्रम होने से खातेदार द्वारा समर्पण हेतु प्रस्तुत नक्शे में गलत जगह प्रस्तावित कर दिया। मौके पर खसरा संख्या 845 की सीमा पर खातेदार श्री भागीरथराम के खसरे में मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है जो कि खड़ियाली नाडी डामर सम्पर्क सड़क से मकवाणी कडवासरों की ढाणी स्कूल तक जाती है तथा लगभग 100 घरों के आवागमन का एकमात्र रास्ता है। प्रार्थी का घर खसरा संख्या 804/6 की सीमा पर बना हुआ है, इसलिए प्रार्थी स्वयं के घर तक पहुंचने के लिए भी यही रास्ता है। अतः पटवारी हल्का बाण्ड की मौका रिपोर्ट अनुसार खातेदार व उपस्थित मौतबरान के बताए अनुसार मौके पर चालु रास्ता व कब्जा काश्त अनुसार संलग्न नक्शा में खसरा संख्या 950/854 रकबा 0.0647 हैक्टेयर बरंग द्वारा दर्शित किया गया है, जो कि मौका रिपोर्ट का अभिन्न अंग रहेगा।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पारित समर्पण आदेश क्रमांक 2578 दिनांक 12.11.2024 आंशिक अपास्त किया जाकर समर्पित भूमि का नक्शा तरमीम तहसीलदार नोखड़ा की रिपोर्ट अनुसार सही अंकन नहीं होने से इसे निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार नोखड़ा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि नक्शे में तरमीम मौके की वस्तुस्थिति अनुसार खातेदार से सहमति प्राप्त कर रेकर्ड में अंकन कराना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते